न्यायालय

सहायक कलेक्टर / उपखंड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

[पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र कुमार आर ए एस]

प्रार्थना पत्र संख्या 139/2022

दायर दिनांक 13.06.2022

मोहनलाल पुत्र बक्शाराम जाति जाट निवासी सोमसीसर तहसील तारनागर (चूरु)

प्रार्थी

बनाम

1. सोहनलाल पुत्र बक्शाराम जाति जाट निवासी सोमसीसर तहसील तारनागर (चूरु)
2. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार साहवा तहसील तारानगर जिला चूरु
3. सावत्री पत्नी सोहनलाल जाति जाट निवासी सोमसीसर तह तारानगर

अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्तागण :

- प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता पवन योगी
- अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अशोक सिंहाग एवं राजेश सांकरोत

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

-:निर्णय :-

निर्णय तिथि : 12.09.2025

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अंतर्गत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत निर्णय प्रस्तुत हुई है। प्रकरण का सूक्ष्म एवं सारतः वृतांत इस प्रकार है कि वादी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि " यह कि कृषिभूमि ख. नं. 767/517 तादादी 0.6702 हैक्टयर वाके रोही सोमसीसर तहसील तारानगर जिला चूरु वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है कृषिभूमि ख.नं. 768/204 तादादी 0.6702 हैक्टयर वाके रोही सोमसीसर तहसील तारानगर जिला चूरु अप्रार्थी सं. 1 सोहनलाल पुत्र बक्शाराम के नाम खातेदारी में दर्ज है नकल जमाबन्दी, नक्शा, अनेक्चर 'क' संलग्न प्रार्थना पत्र है । प्रार्थी की खातेदारी कृषिभूमि ग्राम सोमसीसर की रोही में स्थित है तथा ग्राम सोमसीसर से ग्राम सारायण से जाने वाला कटानी रास्ता गोचर भूमि ख. नं. 208 में होकर जाता है तथा उक्त कटानी रास्ता के चिपते ही अप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी कृषिभूमि ख. नं. 768/204 है तथा प्रार्थी की खातेदारी कृषिभूमि अप्रार्थी सं. 1 के आथुनी दिशा में चिपते ही है. प्रार्थी ग्राम सोमसीसर से सारायण जाने वाले कटानी रास्ता जो सारायण जाता है उसी कटानी रास्ता से होते हुए अप्रार्थी सं. 1 के ख.नं. 768/204 में पश्चिमी सींव के अन्दर पास-पास होकर अपने खेत में सदामत से सुचलित सैकडो वर्षों पुराने रास्ते से आवागमन करते है। इसके अलावा प्रार्थी के खेत का अन्य कोई रास्ते का विकल्प मौजुद नहीं है जिसे अनेक्चर 'क' में बरंग लाल दर्शाया गया है। उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में कटा हुआ नहीं होने के कारण प्रार्थी को अपने खेत में ट्रेक्टर, ऊंटगाड़ा व अन्य वाहन ले जाने में परेशानी रहती है अप्रार्थी सं. 1 आवागमन करने से भी रोकता है इसलिए प्रार्थी को खेती सुधार व सुचारु रुप से आवागमन के लिए 16 फिट का रास्ता अनेक्चर 'क' में दिखाया गया है

Rajendra
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

रास्ता दिलवाया जाना न्यायोचित है। उक्त रास्ता सदामत से 100 वर्षों से अधिक समय से प्रार्थी ग्राम सोमसीसर से सारायण जाने वाले कटानी रास्ता से दांय फंटकर अप्रार्थी सं. 1 के ख.नं. 768/204 में से होकर अपने खेत में सदामत से सुचलित सैकडो वर्षो पुराने रास्ते से आवागमन करता है। जो हमेशा से चालु रहा है मगर अब वर्तमान में प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 मध्य आपसी विवाद होने से उक्त सभी सदामत से चालु रास्ते को बन्द कर दिया गया है मगर अप्रार्थी सं. 1 ऐसा करने का कोई हक व अधिकार हासिल नहीं है ।अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थी के आवागमन में बार बार बाधा उत्पन्न करता है कभी-कभी रास्ता बन्द करने की धमकी देता है बन्द भी कर देता है व प्रार्थी को ट्रेक्टर ट्रोली, ऊँट गाड़ा लाने ले जाने के लिए भी मना करता है ऐसा प्रार्थी ने अब दिनांक 20.06.2023 को मुकाम रोही सोमसीसर में किया है इसलिए प्रार्थी को उक्त रास्ते को कटानी रास्ते के रूप में कटवाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का वादाधार हासिल है तथा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। विवादित कृषिभूमि का मालिक राज. सरकार होने से नायब तहसीलदार साहवा को औपचारिक पक्षकार बनाया गया है। जिनके द्वारा ही राजस्व रिकार्ड में कटानी रास्ता अंकन किया जाना है। प्रार्थी को गांव से अपने खेत में आने-जाने के लिए अप्रार्थी सं. 1 के खेत में से अनेक्चर 'क' में दर्शाये गये 16 फिट चौडे रास्ते की आवश्यकता है जो अनेक्चर 'क' बरंग लाल दर्शाया गया है। प्रार्थी को कटानी रास्ता दिलवाया जावें । "
वगैरह वगैरह.

2. प्रार्थना पत्र दिनांक 25.06.2023 को जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत किया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया गया. दिनांक 28.07.2023 को अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता आशाराम आचार्य द्वारा वकालतनामा पेश किया गया तथा उभयपक्ष द्वारा तहसीलदार तारानगर से मौका रिपोर्ट हेतु सहमति जाहिर करने पर तहरीर जारी की गयी. दिनांक 06.11.2023 को तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई. दिनांक 14.06.2024 को वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 पेश किया जिस पर वकील अप्रार्थी द्वारा दिनांक 01.07.2024 को अनापत्ति जाहिर करने पर स्वीकार किया गया और सावत्री पत्नी सोहनलाल जाति जाट निवासी सोमसीसर तह तारानगर को अप्रार्थी संख्या 3 के रूप में संजोयित किया गया. दिनांक 10.07.2024 को अधिवक्ता आशाराम आचार्य द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 की हिदायत पैरवी होना जाहिर किया.
3. दिनांक 23.08.2024 को बार बार अवसर दिए जाने पर भी जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर जवाब प्रार्थना पत्र बंद किया जाकर अप्रार्थीगण 1 व 3 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी. दिनांक 01.10.2024 को अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 CPC पेश किया गया तथा दिनांक 08.10.2024 को अधिवक्ता अशोक सिहाग व राजेश सांकरोत ने अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 7 CPC मय वकालतनामा पेश किया जिन पर दिनांक 25.11.2024 को वकील प्रार्थी द्वारा अनापत्ति जाहिर करने पर स्वीकार किया गया एवं अप्रार्थी संख्या 1 को जवाबदेही का अवसर देते हुए अप्रार्थी संख्या के विरुद्ध की गयी एक पक्षीय कार्यवाही को निरस्त किया गया. दिनांक 28.03.2025 को बार बार अवसर दिए जाने के पश्चात् भी जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर अप्रार्थी संख्या 1 व 3 का जवाब प्रार्थना पत्र बंद किया जाता है.
4. दिनांक 06.06.2025 को अधिवक्ता पवन योगी द्वारा प्रार्थी की ओर से वकालतनामा पेश किया जाकर पत्रवाली को वास्ते बहस नियत की गयी.
5. आज दिनांक 12.08.2025 को वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया. प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया है। प्रकरण में तथ्यों के कानूनी बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण से पूर्व अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:-

*[251A. **Laying of underground pipeline or opening a new way through another khatedar's holding or enlarging the existing way.** - (1) Where –*

(a)a tenant intends to lay an underground pipeline through the holding of another khatedar for the purpose of irrigation of his holding; or

(b)a tenant or a group of tenants intend to have a new way, or enlargement or widening of an existing way, through the holding of another khatedar to have access to his holding or, as the case may be, their holdings of and the matter is not settled by mutual agreement, the tenant or the tenants, as the case may be, may apply for such facility to the Sub-Divisional Officer concerned, and the SubDivisional Officer, if he is satisfied after a summary inquiry, that

(i) the necessity is absolute necessity, and it is not for mere convenient enjoyment of holding; and

(ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access proved, may, be order, allow the applicant, to

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

lay pipeline, at least three feet beneath the surface of the land, along 'the line demarcated or pointed out by the tenant who holds that land, or to have a new way, not wider than thirty feet, through the land on such track as pointed out by the tenant who holds that land, and if no such track is pointed out, through the shortest or nearest route, or to enlarge or widen the existing way, not exceeding up to thirty feet, on payment of such compensation as may be determined by the Sub-Divisional Officer, in the prescribed manner, to the tenant who holds the land through which the right to lay pipeline or have a new way or enlarge or widen an existing way is granted.

(2) Where a right to have a new way or enlarge or widen an existing way is granted under sub-section (1), the tenancy in respect of the land comprising such way shall be deemed to have been extinguished, and the land shall be recorded as rasta in the revenue records.

(3) The persons permitted to avail any of the facilities referred to in sub-section (1) shall not, by virtue of the said facility, acquire any other right in the holding through which such facility is granted.]

6. तहसीलदार रिपोर्ट का अवलोकन किया गया. मुताबिक रिपोर्ट प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते के अलावा पश्चिमी साइड में बिना कटानी रास्ता उत्तर से दक्षिण चल रहा है जो प्रार्थी के खेत से लगभग 450 ft की दूरी पर है व उत्तरी साइड में चुनीराम के खेत से एक पगडण्डी (बिना कटानी) चल रही है जो प्रार्थी के खेत से लगभग 500 ft की दूरी पड़ती है. उक्त दोनों रास्ते नहर के समानांतर दक्षिण में पूर्व से पश्चिम चल रहे रास्ते से निकलते हैं
7. बाद अवलोकन प्रार्थना पत्र एवं बहस स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा संलग्न किये गए नजरी नक़्शे से स्पष्ट है कि चाहा गया रास्ता खसरा संख्या 207 व 768/204 में से गुजरता है किन्तु प्रार्थी द्वारा खसरा सं 207 के खातेदारों को पक्षकार नहीं संयोजित किया गया है. अतः प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पोषणीय नहीं होने के कारण ख़ारिज योग्य है. अतः

<u>-:आदेश :-</u>

है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 से सुसंगत नहीं होने एवं खसरा संख्या 207 के खातेदारों को पक्षकार संयोजित नही किये जाने के कारण ख़ारिज किया जाता है.

आज 12.09.2025 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

Rajendra

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

([illegible] आर ए एस)
सहायक कलेक्टर, तारानगर (चूरू)